

शेख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

25/3
2022

वादी सं. 3 अ श्री करण सिंह व वादी पक्ष के अधिकता श्री अमृत परिहार द्वारा प्रस्तुत अर्चना पत्र अंतर्गत 0-23 R1 सपोर्ट धारा 151 CPC पर पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई। वादी एवं वादी पक्ष के अधिकता श्री अमृत परिहार ने प्रार्थना पत्र 0-23, R-1 CPC के द्वारा उक्त वाद को जरिये विज्ञापन आरिज किये जाने का निवेदन किया। चूंकि वादी व उक्त अधिकता वाद चलाना नहीं चाहते हैं अतः CPC के अर्द्ध 23 नियम 1 CPC में विहित प्रावधानों अनुसार वाद वादीगण जरिये विज्ञापन प्रार्थना पत्र आरिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार टैकर नंबर से कम हो

[Handwritten signature]
25/3/22

[Handwritten signature]
Shri. A. P. Singh
Plaintiff



[Handwritten signature]
उपस्थित अधिकारी
वाली, गिला-पाली (राज.)